

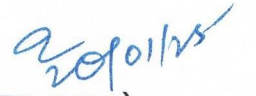
बिहार सरकार
खेल विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक-20/01/2025

संचिका सं०-1/खेल 1-65/24/...14.....बिहार खेल विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2021 यथा संशोधित, के नियम-42 (ग) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के प्रथम कार्य परिषद् का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

(i) कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर	- अध्यक्ष
(ii) कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर	- सदस्य सचिव
(iii) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार	- सदस्य
(iv) निदेशक/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार	- सदस्य
(v) निदेशक/संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार	- सदस्य
(vi) निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना	- सदस्य
(vii) सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर	- सदस्य
(viii) डीन, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर	- सदस्य
(ix) परीक्षा नियंत्रक, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर	- सदस्य

2. प्रथम कार्य परिषद् की अवधि तीन (03) वर्षों की होगी।
3. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/खेल 1-65/24/...280....

पटना, दिनांक-20/01/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र से प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई० टी० मैनेजर, खेल विभाग)।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/खेल 1-65/24/...280...

पटना, दिनांक-20/01/2025

प्रतिलिपि:—राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना; महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना; मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना; माननीय मंत्री, खेल विभाग के आप्त सचिव; मुख्य सचिव, बिहार, पटना; कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (नालंदा); निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार; निदेशक/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार; निदेशक/संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार; निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना; सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर; डीन, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर; परीक्षा नियंत्रक, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर; कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर; संबंधित सभी कार्यालय; संबंधित सभी पदाधिकारी; अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना; आई० टी० मैनेजर खेल विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।